"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 22, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 5-2/2013/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 24 सितंबर, 2013 से 27 सितंबर, 2013 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 28 एवं 29 सितंबर, 2013 (शनिवार एवं रविवार) के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-13/दो-गृह/भापुसे/2009.—श्रीमती पारूल माथुर, भापुसे (2008) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) को, दिनांक 05-10-2013 से 18-10-2013 तक (14 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक [illegible] एवं 20-10-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती माथुर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला बेमेतरा के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती माथुर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-15/दो-गृह/भापुसे/2009.—श्रीमती नीथू कमल, भा.पु.से. (2009) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना/प्रबंध पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 09-11-2013 से 06-05-2014 तक कुल 180 दिवस का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीथू कमल आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती नीथू कमल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीथू कमल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्रमांक 7779/8631/2013/18.—श्री जे. पी. पाठक (रा.प्र.से.) आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को दिनांक 23-12-2013 से 28-12-2013 तक (06 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाठक आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम, दुर्ग में आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पाठक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible] एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ-1-103/2012/सात-4.—श्री जी. कुजूर, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर जब जिला-कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ थे, तब उनके द्वारा अधिकारिता से बाहर जाकर आदेश पारित करने एवं भू-अभिलेख प्रविष्टि में अनियमितता बरते जाने के कारण कलेक्टर, जिला बिलासपुर के द्वारा आदेश दिनांक 05-08-2010 के द्वारा निलंबित किया जाकर पत्र दिनांक 20-09-2010 के द्वारा आरोप पत्रादि प्रसारित किये गये. श्री कुजूर के विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये गये हैं :—

आरोप :— श्री जी. कुजूर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्र. 34/अ-6/2009-10 ग्राम परसदाबेद प.ह.नं. 40 तहसील मस्तूरी के नामांतरण/परिवर्तन पंजी वर्ष 2009 में अधीक्षक भू-अभिलेख, राजस्व सर्वेक्षण के सील मोहर सहित बहैसियत हस्ताक्षर कर बंटवारा/दाखला प्रमाणित पंजी में क्र. 31 से 65 तक के प्रकरणों में एक ही दिनांक 03-08-2009 को किया गया है, वहीं क्रमांक 40, 41 एवं 65 में आज तक बंटवारा दाखला प्रमाणित नहीं हुआ है और प्रमाणित नहीं किए जाने का कारण ही परिवर्तन पंजी में उल्लेख नहीं किया गया है.

इस तरह स्पष्ट है कि श्री कुजूर सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा न्यायालयीन कार्य संपादित करने में अनियमितता की गई है, जो कि गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है. उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के प्रतिकूल हैं.

2. आरोप-पत्र के संदर्भ में श्री कुजूर द्वारा अपने पत्र दिनांक 04-10-2010 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद (उत्तर) संतोषप्रद नहीं होने के कारण कलेक्टर, जिला-बिलासपुर द्वारा आदेश दिनांक 27-12-2010 द्वारा नियमित विभागीय जांच संस्थित करते हुए विभागीय जांच की कार्यवाही हेतु विभागीय जांच अधिकारी, जिला-कार्यालय, बिलासपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, बिलासपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया.

3. विभागीय जांच अधिकारी, बिलासपुर के द्वारा श्री कुजूर के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 22-6-2012 को जांच-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जांच-प्रतिवेदन में जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष अंकित किया है कि "साक्ष्यों में संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि ग्राम-वेदपरसदा, तहसील-मस्तूरी के लिए संधारित नामांतरण/परिवर्तन पंजी में एक ही दिनांक 03-08-2009 को क्रमांक 31 से 65 तक के प्रकरणों में नामांतरण/बंटवारा का दाखिला प्रमाणित किया गया है, बीच-2 में जांच दिनांक तक (28-07-2010 तक) क्रमांक 39, 40, 41 एवं 65 अप्रमाणित है, साथ ही उक्त पंजी में बीच-2 में खाली कोरे पन्ने छोड़े गये हैं. वास्तविक तथ्य यह है कि न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 34/अ-6/2009-10 पक्षकार-दुर्गाचरण विरुद्ध पार्वती बाई में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के नामांतरण क्रमांक 49 आदेश दिनांक 15-05-2009 के विरुद्ध अपील में मूल प्रतिवर्तन पंजी की मांग करने पर इस तथ्य का पता चला कि मूल परिवर्तन पंजी एवं वर्तमान पंजी को बदल दिया गया था." इस प्रकार जांच अधिकारी के द्वारा आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है.

4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 29-08-2012 के द्वारा कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, बिलासपुर की अनुशंसा अनुसार श्री जी. कुजूर के विरुद्ध विभागीय जांच में प्रमाणित आरोप के प्रकाश में दीर्घ शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण राज्य शासन को प्रेषित किया गया है.

5. राज्य शासन द्वारा प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्र दिनांक 26-11-2012 के साथ जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर प्रमाणित आरोप के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु श्री कुजूर को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. सूचना-पत्र के संदर्भ में श्री कुजूर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 10-12-2012 द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है. श्री कुजूर के द्वारा अपने प्रत्युत्तर में ऐसा कोई ठोस तथ्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अभ्यावेदन मान्य किये जाने पर विचार किया जा सके.

6. चूंकि श्री कुजूर, अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से दिनांक 31-10-2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. अतः प्रमाणित आरोप के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम-1976 के नियम-9 के तहत्, श्री कुजूर के विरुद्ध पेंशन राशि में 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) पेंशन राशि 01 वर्ष (एक वर्ष) के लिए रोके जाने संबंधी शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधिक निर्णय लिया गया. श्री कुजूर तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक श्रेणी के कर्मचारी होने के कारण इनके विरुद्ध लिये गये प्रावधिक निर्णय पर छ.ग. लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त की गई. छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के द्वारा अपने पत्र क्र. 1384/98/2013/जी.एस., दिनांक 18 सितंबर, 2013 से शासन द्वारा लिये गये प्रावधिक निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है.

7. अतः श्री जी. कुजूर, तत्कालीन सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला कार्यालय-बिलासपुर (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरुद्ध बरती गई अनियमितता एवं कदाचरण के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम-1976 के नियम-9 के अंतर्गत पेंशन राशि में से 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) पेंशन राशि 01 वर्ष (एक वर्ष) के लिए रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करता है.

8. प्रकरण में नियमानुसार मंत्रिपरिषद् का आदेश प्राप्त कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2013

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2014 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-49/गृह-सी (परीक्षा)/2013.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा मंगलवार दिनांक 28 जनवरी, 2014 से 03 फरवरी, 2014 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 28-01-2014

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 28-01-2014	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

मंगलवार, दिनांक 28-01-2014

(1)	(2)	(3)
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 29-01-2014

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 29-01-2014

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

बुधवार, दिनांक 29-01-2014

(1)	(2)	(3)
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 30-01-2014

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 30-01-2014

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

शुक्रवार, दिनांक 31-01-2014

(1)	(2)	(3)
33.	**प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा** (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 31-01-2014	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शनिवार, दिनांक 01-02-2014	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
	शनिवार, दिनांक 01-02-2014	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शनिवार, दिनांक 01-02-2014	
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	रविवार को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 03-02-2014	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 23-12-2013 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्रमांक 1080/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	सुकुलपारा प.ह.नं. 27	2.840	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग, क्रमांक 2, चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्रमांक 1093/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	खोरसी प.ह.नं. 21	11.602	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग, क्रमांक 2, चांपा (छ.ग.)	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक 2097/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	मनेन्द्रगढ़	घुटरा	2.09	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	घुटरा व्यपवर्तन योजना के ग्राम घुटरा के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक 2099/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	मनेन्द्रगढ़	पेन्ड्री	2.55	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	घुटरा व्यपवर्तन योजना के ग्राम पेन्ड्री के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक 2101/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया (छ.ग.)	मनेन्द्रगढ़	सलबा	0.44	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर (छ.ग.).	घुटरा व्यपवर्तन योजना के ग्राम सलबा के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कांटाझरिया प.ह.नं. 36	5.941	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	राटरोट प.ह.नं. 10	2.008	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कसडोल प.ह.नं. 10	7.788	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बड़गांव प.ह.नं. 09	3.262	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	गोढ़ी प.ह.न. 11	7.713	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली प.ह.नं. 11	9.276	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला प.ह.नं. 04	7.568	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	केराखोल प.ह.नं. 01	5.338	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	नूनदरहा प.ह.नं. 31	3.189	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	मौहापाली प.ह.नं. 03	5.824	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तिर को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध ं उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बनाई प.ह.नं. 01	4.533	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियं को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	रायकेरा प.ह.नं. 08	7.150	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	डोलेसरा प.ह.नं. 02	4.091	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	चिर्रामुड़ा प.ह.नं. 01	2.866	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा प.ह.नं. 14	0.303	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के पुनर्वास कालोनी एवं टाउनसीप हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कंचनपुर प.ह.नं. 12	6.847	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के पुनर्वास कालोनी एवं टाउनसीप हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कंचनपुर प.ह.नं. 12	0.383	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना, घरघोड़ा.	एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के पुनर्वास कालोनी एवं टाउनसीप हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रूचिदा प.ह.नं. 18	2.196	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुरमापाली प.ह.नं. 01	7.412	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तारापुर प.ह.नं. 18	0.057	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बघनपुर प.ह.नं. 11	0.769	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोड़ा प.ह.नं. 19	3.416	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रामपुर छोटे प.ह.नं. 16	0.356	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	शंकरपाली प.ह.नं. 20	2.097	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	डोंगाढकेल प.ह.नं. 02	0.170	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली प.ह.नं. 16	6.796	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मुरारीपाली प.ह.नं. 02	6.976	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोर्रा प.ह.नं. 01	8.652	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बनहर प.ह.नं. 05	0.702	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कांशीचुआ प.ह.नं. 03	0.186	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बुलाकी प.ह.नं. 16	0.178	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	राईतराई प.ह.नं. 01	2.733	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प.ह.नं. 20	2.262	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोड़तराई प.ह.नं. 01	0.186	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक/8511/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	197	0.17
योग		0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर भानुप्रतापपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक/8514/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कच्चे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	300	0.32
योग		0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर भानुप्रतापपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक/8517/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-किनारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
184	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर भानुप्रतापपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक/8521/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भैसमुण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
506	0.13
507	0.48
344	0.14
341	1.14
342	0.29
342	0.52
402	0.16
440	0.73
401	0.86
396	0.64
388	1.03
341	0.70
440	0.70
योग	7.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर भानुप्रतापपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्रमांक/8555/कले/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भैसाकन्हार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
718	0.16
721	0.27
725	0.27
720	0.16
721	0.05
687	0.12
690	0.34

(1)	(2)
720	0.18
योग	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर भानुप्रतापपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़ दिनांक 22 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लारा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-143.464 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
466/1	0.050
429/5	0.090
504/1	0.202
695/14	0.248
695/15	0.253
695/1	0.248
695/12	0.248
695/13	0.253
445/1	0.061
445/2	0.101
449/2	0.091
452/2	0.145
490/3	0.105
777/1ख	0.034
777/807	0.032
778	0.101
634/2	0.101
635/2	0.081
635/3	0.149
639	0.032
499/7	0.038
422/2क	0.082
206/6	0.049
462/8क	0.041
462/8ख	0.020
462/8ग	0.020
462/8घ	0.018
472/6	0.031
192/4क	0.039
472/13	0.009
462/7	0.040
695/16ख	0.041
695/53	0.041
695/54	0.041
695/55	0.012
695/16ग	0.041
423/9	0.051
423/6	0.052
423/8	0.040
534/7ग	0.043
474/4	0.037
474/6क	0.020
474/7	0.037
474/8	0.037
460	0.045
766/4क	0.040
680/6घ	0.049
680/6छ	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
680/6ङ	0.049	680/6क	0.046
680/6च	0.049	688/5	0.140
654/1घ	0.049	688/2ङ	0.008
654/1च	0.021	691/4	0.161
695/10ख	0.041	434/1	0.081
696/9ख	0.049	476/1	0.036
696/9ग	0.058	480/4	0.077
696/9घ	0.049	699/10	0.747
696/9ङ	0.049	499/12	0.047
696/9च	0.049	499/2	0.038
517/2	0.046	441/4	0.061
767/2ग	0.027	497/1क	0.021
767/2घ	0.026	696/3	0.202
655/9	0.014	688/1ख	0.710
655/10	0.013	688/2ख	0.040
655/14	0.015	689/1ख	0.233
655/32	0.004	689/3ख	0.259
655/33	0.004	691/1ख	0.420
655/34	0.004	429/4	0.295
767/7	0.020	191/6क	0.058
476/3क	0.027	687/4क	0.020
469/54	0.040	779/4ख	0.049
469/55	0.020	693/2ख	0.065
469/56	0.040	693/2क	0.065
469/57	0.040	499/9	0.038
471/72	0.012	442/1	0.051
472/8	0.008	443/1	0.097
472/111	0.008	514/1	0.026
699/28	0.020	199/2क	0.058
504/2छ	0.004	695/16क	0.094
504/3ङ	0.020	695/52	0.041
504/3च	0.020	456/1	0.127
469/58	0.041	456/4	0.041
469/59	0.041	456/5	0.041
469/60	0.041	556/6	0.041
760/21ख	0.020	456/7	0.041
760/23ख	0.020	691/2क	0.118
760/2घ	0.020	766/4ख	0.041
760/17ख	0.020	766/6ग	0.020
763/3ख	0.049	652/3क	0.008
763/3ग	0.049	652/3ख	0.008
763/4ख	0.049	469/5	0.122
763/4ग	0.049	469/6	0.118
763/4घ	0.049	469/7	0.118
496/5	0.065	456/3ख	0.029
668/1	0.243	478/3	0.061

(1)	(2)
456/3ग	0.028
478/4	0.061
456/3घ	0.029
478/5	0.060
432/5	0.170
192/5	0.008
479/3	0.035
192/7क	0.045
687/8ख	0.014
424/4	0.034
650/1	0.015
749/2	0.405
652/12क	0.001
655/2क	0.004
655/23	0.004
655/24	0.004
655/25	0.004
655/26	0.004
655/2ख	0.005
655/28	0.006
655/29	0.004
655/30	0.004
655/31	0.004
654/3क	0.004
627/1	0.045
764/1क	0.065
627/2	0.045
764/1ख	0.065
627/3	0.060
472/1ख	0.070
476/3ख	0.027
472/3	0.012
476/3ग	0.026
472/16	0.012
472/17	0.012
472/18	0.004
472/19	0.009
472/20	0.008
472/21	0.008
472/22	0.008
472/23	0.012
760/11	0.021
760/12	0.021
760/13	0.021
760/14	0.020
760/15	0.020

(1)	(2)
760/16	0.020
760/17क	0.021
760/18	0.041
760/19	0.040
760/20	0.020
760/21क	0.020
760/22	0.020
760/23क	0.021
760/24	0.041
760/25	0.020
760/26	0.020
469/8ख	0.067
469/18	0.045
469/17	0.045
469/2ख	0.045
469/16	0.045
190/19	0.005
190/20	0.005
190/21	0.005
190/23	0.004
695/17छ	0.012
190/24	0.005
190/25	0.009
763/5ख	0.049
763/5ग	0.049
469/61	0.045
469/62	0.045
651/6ज	0.045
767/3ग	0.045
767/3घ	0.045
767/3ङ	0.045
767/3च	0.045
767/3छ	0.045
767/3ज	0.045
772/2क	0.025
773/3ख	0.025
773/3घ	0.024
767/2च	0.020
760/2ङ	0.007
767/2छ	0.013
760/2च	0.020
680/3क	0.024
680/3ज	0.020
680/3झ	0.020
680/3ञ	0.024
680/4क	0.037

(1)	(2)
668/4क	0.041
668/4च	0.040
422/1ख	0.022
422/3	0.022
422/4	0.022
508/4	0.010
508/5	0.010
692/20	0.020
695/50	0.020
695/51	0.020
694/3क	0.045
694/3छ	0.045
694/3ग	0.045
694/3घ	0.045
694/3ङ	0.045
694/3च	0.058
779/5क	0.056
779/7	0.073
191/3	0.041
191/5	0.019
190/4ख	0.004
469/3	0.166
469/58	0.041
469/59	0.041
469/60	0.041
469/61	0.041
469/62	0.041
469/63	0.041
469/64	0.041
469/65	0.041
491/1	0.044
479/1	0.034
192/1	0.009
471/2ख	0.194
471/2छ	0.075
471/2ञ	0.109
471/2ट	0.065
779/8	0.020
456/3क	0.243
699/8	0.770
684/1	0.068
440	0.142
696/10क	0.113
510/1	0.056
511/1	0.048
511/3	0.026

(1)	(2)
511/4	0.026
511/5	0.026
511/6	0.026
511/7	0.026
511/8	0.013
511/9	0.013
511/10	0.026
511/11	0.026
511/12	0.026
432/2क	0.025
432/2ख	0.069
426/3क	0.061
425/1	0.021
425/6	0.020
432/1क	0.045
519/1ख	0.034
760/2क	0.048
760/2ख	0.020
760/36	0.020
760/37	0.037
760/38	0.020
767/2ङ	0.016
767/37	0.016
767/38	0.018
772/2ख	0.025
773/3ग	0.024
773/27	0.024
205	0.049
760/2ग	0.021
471/18क	0.041
471/19क	0.041
471/20क	0.052
435/8	0.028
435/9	0.029
773/5	0.139
649/1क	0.041
508/2	0.021
471/6ख	0.405
471/8ख	0.053
517/1	0.046
471/6ग	0.081
471/6घ	0.021
680/3ख	0.047
680/3ग	0.049
668/2घ	0.046
668/4घ	0.081

(1)	(2)
680/4घ	0.037
680/3घ	0.189
190/26	0.005
190/27	0.005
190/26	0.005
190/22	0.005
695/30	0.040
695/31	0.040
695/32	0.040
695/33	0.040
695/34	0.040
695/35	0.040
471/14ख	0.008
763/43छ	0.008
763/43च	0.008
763/37ग	0.020
763/37घ	0.020
471/15ख	0.008
472/30	0.020
472/31	0.020
472/32	0.020
472/33	0.020
655/8च, 656/1च	0.008
655/8छ, 656/1छ	0.008
476/8	0.020
476/9	0.020
476/10	0.020
476/11	0.020
476/12	0.020
469/19	0.020
469/20	0.020
469/21	0.020
469/22	0.020
469/23	0.020
469/24	0.020
469/25	0.020
773/6	0.008
773/7	0.020
773/8	0.020
685/3छ	0.040
685/3ज	0.040
685/3झ	0.040
512/10ख	0.008
512/12ख	0.008
512/12ग	0.004
763/44ख	0.004
763/44ग	0.004
763/44घ	0.004
763/79ख	0.004
471/20ग	0.049
471/20घ	0.049
471/19ग	0.045
471/19ङ	0.045
471/19ड	0.045
471/19च	0.041
471/19छ	0.040
471/19ज	0.040
471/19झ	0.040
772/5ख	0.040
428/2	0.012
191/4क	0.070
191/7क	0.054
190/7क	0.041
190/8क	0.040
490/1क	0.007
772/3	0.028
772/8	0.024
772/9	0.024
772/10	0.024
772/11	0.024
687/12ज	0.004
698/6क	0.041
698/7क	0.041
472/2	0.008
698/6ख	0.022
698/7ख	0.023
490/5	0.041
490/9	0.040
511/13	0.020
511/14	0.026
511/15	0.025
511/16	0.026
511/17	0.026
469/1ख	0.004
454/2	0.107
455/1/2	0.221
469/4	0.119
422/2ख	0.166
426/4क	0.029
480/1ख	0.046
480/3ख	0.044
480/5ख	0.085
499/5	0.038
669/3क	0.016
696/4	0.012
494	0.312

(1)	(2)	(1)	(2)
495	0.417	767/46	0.041
456/2	0.145	767/47	0.043
499/10	0.039	421/2	0.150
469/1ङ	0.140	421/24	0.020
755	2.108	421/25	0.020
757	0.243	421/26	0.020
198/2	0.020	421/27	0.020
463/2	0.095	421/28	0.020
506/1	0.103	421/29	0.020
191/11क	0.020	421/30	0.020
469/1ञ	0.082	421/31	0.020
489/1	0.184	421/32	0.020
498/1	0.057	421/33	0.020
513/2	0.101	421/34	0.020
664/1	0.012	421/35	0.020
772/1	0.021	773/9	0.020
772/17	0.021	773/10	0.020
772/18	0.020	773/11	0.020
772/19	0.020	773/12	0.020
772/20	0.020	773/17	0.020
446	0.105	773/13	0.020
767/17	0.020	773/14	0.020
689/2ग	0.092	773/15	0.020
668/2ङ	0.051	773/16	0.020
668/4ड	0.243	773/18	0.020
680/4ड	0.112	650/11	0.020
689/2घ	0.275	773/19	0.020
749/5	0.040	773/20	0.020
749/1ख	0.101	773/21	0.020
749/1ग	0.101	773/22	0.020
693/2ग	0.069	773/23	0.019
693/2घ	0.068	773/24	0.020
693/2ङ	0.069	773/25	0.020
693/2च	0.068	486/2घ	0.032
512/1ख	0.041	767/8	0.008
512/1ग	0.040	767/9	0.008
512/1घ	0.040	767/10	0.008
512/1ङ	0.040	432/14	0.020
767/3क	0.045	767/11	0.008
767/39	0.045	471/3ग	0.049
767/40	0.045	767/12	0.008
767/3ख	0.041	471/3घ	0.049
767/41	0.041	767/13	0.008
767/42	0.041	767/14	0.008
767/43	0.041	767/15	0.008
767/44	0.041	767/16	0.008
767/45	0.041	767/18	0.012
		698/8	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
698/9	0.020	763/39ग	0.012
698/10	0.012	457/1	0.075
698/11	0.012	457/6	0.041
698/12	0.020	457/7	0.041
698/13	0.020	457/8	0.041
698/14	0.020	457/9	0.041
698/15	0.020	766/2	0.102
490/10	0.040	770/1	0.061
438/2	0.041	779/9	0.100
438/3	0.041	779/12	0.041
438/4	0.041	779/13	0.041
779/1	0.057	190/11क	0.038
779/10	0.045	669/1	0.069
779/11	0.052	198/1	0.105
780/13	0.059	463/1	0.095
750/1	0.044	502	0.061
750/4	0.041	506/2	0.103
750/5	0.041	507	0.239
750/6	0.041	467/1	0.047
750/7	0.041	192/3	0.020
750/8	0.041	500/2	0.097
750/9	0.041	441/1	0.028
432/16क	0.006	499/3	0.038
750/10	0.041	455/2	0.127
750/11	0.041	470/3क	0.075
695/10ज	0.041	652/7क	0.061
695/10झ	0.041	193/1	0.052
444/1छ	0.004	499/6	0.038
444/1ज	0.004	190/1ख	0.040
444/1झ	0.004	190/1ग	0.041
444/1ञ	0.004	190/1घ	0.041
444/1ट	0.004	190/1ङ	0.040
444/1ठ	0.004	668/6	0.223
444/1ड	0.005	668/7	0.643
444/1ढ	0.004	668/8	0.125
444/1ण	0.004	677/5	0.032
441/12	0.004	680/5	1.047
441/13	0.004	680/9	0.041
441/14	0.004	680/10	0.041
669/3ग/2	0.004	680/11	0.041
669/3ग/3	0.004	680/12	0.041
441/15	0.004	680/13	0.041
441/16	0.004	421/36	0.020
441/17	0.004	421/37	0.020
441/18	0.004	421/38	0.020
763/39ख	0.012	421/39	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
421/40	0.020	688/7/5, 689/3क/5	0.020
421/41	0.020	688/7/6, 689/3क/6	0.020
485/3ख	0.016	688/7/7, 689/3क/7	0.020
485/6	0.020	688/7/8, 689/3क/8	0.020
485/7	0.020	688/7/11, 689/3क/11	0.020
485/8	0.020	688/7/12, 689/3क/12	0.020
485/9	0.020	688/7/13, 689/3क/13	0.020
485/10	0.020	688/7/14, 689/3क/14	0.020
471/4ग	0.366	453/13	0.020
471/73	0.020	453/14	0.020
471/74	0.020	472/52	0.008
471/75	0.020	472/53	0.008
471/76	0.020	760/31	0.021
429/1	0.049	760/32	0.012
767/1	0.124	760/33	0.012
767/48	0.041	480/9	0.020
767/49	0.041	480/10	0.020
767/50	0.041	480/11	0.020
767/4	0.231	480/12	0.020
631/1	0.081	480/13	0.020
767/5	0.025	480/14	0.020
767/51	0.041	480/8	0.020
767/52	0.041	472/34	0.020
767/53	0.041	424/1झ	0.020
767/54	0.041	763/39घ	0.012
767/6क	0.117	763/39ङ	0.012
756/1	0.044	471/3ज	0.049
756/2	0.044	471/3झ	0.049
756/3	0.045	471/3ञ	0.049
756/4	0.044	687/12झ	0.049
750/2	0.008	474/1	0.044
750/5	0.045	474/9	0.044
750/3	0.045	474/10	0.041
756/6	0.041	474/11	0.041
471/4ख	0.421	203/1	0.020
471/77	0.020	201/2	0.004
471/78	0.020	203/2	0.004
698/16	0.020	764/3	0.020
698/17	0.020	764/4	0.020
698/3	0.020	764/5	0.020
453/5	0.008	764/6	0.020
453/6	0.009	696/16	0.049
453/7	0.008	696/48	0.049
453/8	0.008	696/18	0.049
453/11	0.010	696/19	0.049
453/12	0.011	696/20	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
696/21	0.049	773/1	0.405
696/22	0.049	469/1घ	0.061
696/23	0.049	470/4क	0.131
684/3	0.032	471/1	0.002
684/5	0.049	496/6	0.064
684/6	0.049	471/79	0.020
684/7	0.049	471/80	0.020
684/8	0.048	634/3क	0.028
652/17/1, 655/9/1	0.049	644/1ख	0.024
652/17/2, 655/9/2	0.049	634/3ख	0.032
652/17/3, 655/9/3	0.048	515/3	0.057
652/17/4, 655/9/4	0.016	780/1क	0.022
479/4	0.021	780/1ख	0.040
479/5	0.021	780/1ग	0.040
479/6	0.021	780/1घ	0.041
680/14	0.041	652/10	0.194
680/15	0.041	655/5	0.194
680/16	0.041	534/10	0.061
680/17	0.041	534/11	0.061
680/18	0.041	534/8	0.061
692/20	0.034	534/9	0.061
487/2	0.031	499/1ख	0.020
488/2	0.021	650/3	0.015
749/1क	0.140	650/4	0.015
749/4	0.342	424/3क	0.041
749/6	0.040	424/3ख	0.020
631/2	0.101	424/3ग	0.020
652/15	0.101	471/4घ	0.080
652/11/क	0.058	471/4ङ	0.061
652/6ग, 655/1ग	0.023	471/4च	0.061
687/2	0.077	191/11ख	0.041
697	0.769	469/1ट	0.041
699/3	0.011	470/1ख	0.021
429/2	0.305	470/7	0.020
651/4क	0.022	470/8	0.020
685/3ख	0.010	470/1ग	0.021
685/3ट	0.020	470/9	0.020
685/6	0.020	470/10	0.020
685/7	0.020	470/1घ	0.061
685/8	0.020	470/1ङ	0.061
685/9	0.020	696/7	0.013
685/10	0.020	471/20ख	0.052
686/3	0.033	422/1क	0.337
686/1	0.020	773/3क	0.020
686/2	0.020	469/26	0.022
655/8ख, 656/2ख	0.024	760/35	0.052

(1)	(2)
480/1घ	0.021
480/1ङ	0.021
480/1च	0.021
480/1छ	0.021
201/1	0.020
426/4ख	0.024
426/4ग	0.024
426/4घ	0.024
426/4ङ	0.024
471/23	0.008
471/24	0.006
471/25	0.008
471/26	0.008
471/27क	0.004
471/28	0.008
471/29	0.006
471/30	0.008
471/31	0.008
471/32	0.008
471/33क	0.004
471/34	0.008
471/35	0.008
471/36	0.008
471/37	0.008
471/38	0.006
471/39क	0.004
471/39ख	0.004
471/40	0.008
471/41	0.006
517/3	0.045
517/4	0.045
771/2	0.045
771/3	0.027
768/2	0.028
759/3ख	0.034
518/1	0.008
519/1क	0.008
519/1घ	0.011
519/1ङ	0.020
519/1च	0.020
519/1छ	0.020
519/1ज	0.020
519/1झ	0.020
519/1ग	0.009
192/10	0.008
192/12	0.020

(1)	(2)
192/13	0.020
192/14	0.020
206/3ग	0.013
462/6ग	0.041
462/6घ	0.021
462/6ङ	0.041
462/6च	0.021
462/1छ	0.041
192/11	0.008
696/24	0.009
696/25	0.009
696/26	0.009
696/27	0.009
696/28	0.009
696/29	0.009
696/30	0.009
696/31	0.009
696/32	0.009
696/33	0.012
696/34	0.012
696/35	0.012
696/36	0.012
696/37	0.012
696/38	0.012
696/39	0.012
696/40	0.012
696/41	0.012
688/6	0.140
688/2च	0.008
691/5	0.161
430	0.085
637	0.134
490/4	0.150
696/6	0.254
496/4	0.065
641	0.158
668/3	0.643
688/2घ	0.008
474/2	0.038
695/6क	0.041
695/6च	0.018
448	0.154
453/3	0.162
515/2	0.158
516/2	0.113

(1)	(2)
534/3	0.291
423/5	0.105
677/3	0.101
680/1	0.113
695/2	0.045
636/1	0.033
457/2	0.021
770/3	0.020
692/1	0.040
638/1	0.020
644/2	0.020
644/4	0.041
644/5	0.020
192/6	0.009
470/1क	0.050
194/1	0.023
471/2ग	0.114
471/2च	0.085
471/2ज	0.077
471/2झ	0.109
779/6	0.089
518/2	0.008
519/2	0.154
426/1	0.005
469/2क	0.020
469/8क	0.014
486/1	0.041
202	0.024
204/1	0.037
453/1क	0.020
453/1ख	0.005
204/2	0.015
453/1ग	0.046
204/3	0.016
204/4घ	0.005
469/9	0.021
470/3ख	0.041
470/3ग	0.041
471/19ख	0.068
504/3ख	0.031
504/3ग	0.030
504/2ख	0.015
504/2ग	0.037
504/2घ	0.024
649/1ख	0.041
773/4ख	0.041

(1)	(2)
699/5	0.065
651/6ख	0.045
191/2क	0.020
469/1ठ	0.020
469/1छ	0.012
469/1ज	0.020
469/1झ	0.040
426/6ख	0.015
426/6ग	0.015
763/6	0.004
763/7	0.004
763/8	0.004
763/9	0.004
763/10	0.004
759/7ख	0.020
759/7ग	0.020
439/5क	0.020
439/5ख	0.009
759/7घ	0.011
759/6ख	0.045
763/56	0.128
763/57	0.079
763/58	0.049
763/59	0.049
504/2ङ	0.013
634/1क	0.016
497/2क	0.028
497/2ग	0.029
515/4	0.008
515/5	0.008
515/6	0.008
515/7	0.009
515/8	0.008
515/9	0.008
472/51	0.008
472/54	0.008
472/55	0.008
472/56	0.008
472/57	0.008
472/58	0.008
512/1क	0.009
512/5	0.012
512/6क	0.004
512/7	0.008
512/10क	0.020
512/9क	0.004

(1)	(2)
763/60	0.008
763/61	0.008
763/62	0.008
763/63	0.008
763/64क	0.004
763/65	0.008
763/66	0.008
696/42	0.012
696/43	0.012
469/63	0.045
696/44	0.008
696/45	0.008
696/46	0.008
696/47	0.034
474/5	0.037
628/2	0.081
776/3	0.020
776/4	0.020
776/5	0.020
776/7	0.020
776/8	0.020
776/9	0.020
776/10	0.020
776/11	0.020
776/12	0.020
776/13	0.020
776/14	0.020
776/15	0.020
628/3	0.081
474/6ख	0.017
775/3ख	0.021
775/3ग	0.021
775/3घ	0.021
775/6	0.021
775/7	0.021
775/8	0.041
775/9	0.021
696/54	0.020
696/55	0.013
696/50	0.013
696/51	0.020
696/52	0.012
696/53	0.045
665/2	0.020
431/2	0.021

(1)	(2)
431/3	0.021
780/11	0.060
206/3क	0.008
633	0.049
646/1	0.081
646/2	0.146
508/1	0.072
199/1ख	0.161
206/1क	0.053
206/4क	0.061
441/8	0.012
441/2	0.204
441/5	0.081
442/2	0.050
444/1क	0.482
450	0.077
455/4	0.129
499/8	0.038
499/11	0.039
194/3	0.023
665/1	0.020
651/1क	0.015
687/7	0.028
687/10	0.028
485/1ख	0.069
471/2क	0.130
471/2घ	0.109
471/2ङ	0.073
779/3	0.121
190/10ख	0.077
472/1क	0.144
504/4	0.203
444/2	0.013
489/4	0.324
190/5क	0.072
190/6क	0.115
191/1क	0.070
191/9क	0.011
194/2	0.023
767/2क	0.085
767/19	0.008
763/11	0.004
763/12	0.004
763/13	0.004
763/14	0.004
763/15	0.004

(1)	(2)
763/16	0.004
763/17	0.004
763/18	0.004
763/19	0.004
763/20	0.004
763/21	0.004
763/22	0.004
763/23	0.004
763/24	0.004
763/25	0.004
763/26	0.004
763/27	0.004
763/28	0.004
763/29	0.004
763/30	0.004
763/31	0.004
763/32	0.004
763/33	0.004
763/34	0.004
763/35	0.004
763/38	0.057
763/37क	0.041
763/36	0.061
763/2	0.055
471/6क/2	0.081
504/3क	0.021
763/42क	0.010
763/39क	0.013
763/40क	0.005
763/41क	0.013
763/43क	0.029
763/44क	0.045
763/45क	0.021
763/46क	0.020
763/47	0.013
763/67	0.008
763/68	0.008
763/69	0.008
763/70	0.008
763/71	0.008
763/72	0.008
763/73	0.008
763/74	0.008
763/75	0.008
763/76	0.008
763/77	0.008
763/78	0.008

(1)	(2)
763/79क	0.004
471/46	0.008
471/47	0.008
471/48	0.008
471/49	0.008
471/50	0.008
471/51	0.008
471/52	0.008
471/53	0.008
471/54	0.008
471/55	0.008
471/56	0.008
471/57	0.008
471/58	0.008
471/59	0.004
471/60	0.008
471/61	0.008
471/62	0.008
471/63	0.008
471/64	0.008
471/65	0.008
471/66	0.008
471/67	0.008
471/68	0.008
471/69	0.008
471/70	0.008
655/13	0.008
680/9	0.010
431/4	0.021
428/3	0.041
426/2क	0.033
426/2ख	0.020
427/1	0.021
427/2	0.020
427/3	0.020
422/2घ	0.021
422/2ङ	0.021
422/2च	0.021
422/2छ	0.020
776/17	0.020
776/16	0.020
776/18	0.020
776/19	0.020
776/20	0.020
776/21	0.020
776/22	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
776/23	0.020	433/5	0.013
776/24	0.020	636/2	0.064
776/25	0.020	766/1	0.101
776/26	0.020	770/4	0.061
776/27	0.020	695/9	0.302
776/28	0.020	471/5	1.006
776/29	0.020	779/2क	0.045
776/30	0.020	780/10	0.016
776/31	0.020	758/2	0.012
776/32	0.020	758/4	0.041
534/6क	0.041	758/5	0.020
500/3	0.021	758/6	0.020
534/6ख	0.041	758/7	0.020
500/4	0.021	764/2	0.049
534/6ग	0.043	200/1घ	0.013
500/5	0.021	763/53	0.057
500/6	0.021	763/52	0.061
500/7	0.021	763/49	0.085
432/3ख	0.049	763/48	0.081
432/3ग	0.049	763/50	0.101
487/3ख	0.052	763/51	0.101
488/3	0.052	680/3ड	0.283
767/20	0.008	680/3च	0.284
767/21	0.008	689/2ङ	0.047
767/22	0.027	680/3छ	0.100
767/23	0.027	493/1	0.062
767/24	0.020	493/2	0.059
767/25	0.020	493/3	0.011
767/26	0.020	493/5	0.012
767/27	0.020	493/6	0.012
767/28	0.020	493/7	0.012
767/29	0.020	493/8	0.012
767/30	0.020	493/4	0.059
767/31	0.020	484/1	0.068
767/32	0.008	489/3	0.020
767/33	0.008	489/11	0.020
767/34	0.008	489/13	0.008
767/35	0.008	489/14	0.012
767/36	0.008	489/12	0.040
471/4क	0.532	489/6	0.020
471/81	0.020	489/7	0.020
471/82	0.020	789/8	0.020
471/83	0.020	489/9	0.020
471/84	0.020	489/10	0.020
433/1	0.021	698/1क	0.143
433/4	0.021	698/1ख	0.099

(1)	(2)	(1)	(2)
698/1ग	0.099	695/17ङ	0.040
694/5क	0.040	695/17च	0.040
694/5ख	0.040	426/6क	0.005
694/5ग	0.040	426/6घ	0.005
694/5घ	0.040	426/6ङ	0.005
694/5ङ	0.040	426/6च	0.004
694/5च	0.022	426/6छ	0.004
695/3	0.019	426/6ज	0.004
688/7/9, 689/3क/9	0.020	426/6झ	0.004
680/10	0.010	426/6ञ	0.004
688/7/10, 689/3क/10	0.020	419/5/1, 420/5/1	0.040
654/3ग	0.020	419/5/2, 420/5/2	0.024
655/19	0.009	419/5/3, 420/5/3	0.020
432/15	0.008	419/5/4, 420/5/4	0.020
773/26	0.020	419/5/5, 420/5/5	0.040
687/9ख	0.008	419/5/6, 420/5/6	0.041
687/9ग	0.008	419/5/7, 420/5/7	0.041
687/9घ	0.008	419/5/8, 420/5/8	0.025
760/4	0.004	699/6ख	0.049
760/5	0.008	699/6ग	0.049
760/6	0.008	699/6घ	0.049
760/7	0.008	534/2क	0.042
760/8	0.008	534/2ख	0.042
760/9	0.008	534/2ग	0.042
652/12ख	0.012	534/7क	0.041
652/12ग	0.012	534/7ख	0.041
652/12घ	0.012	204/4क	0.012
652/12ङ	0.012	204/4ख	0.012
504/2च	0.012	204/4ग	0.008
471/42	0.049	699/2क	0.041
471/43	0.044	479/2	0.066
471/44	0.044	461/2	0.030
471/45	0.044	462/1क	0.132
763/42ख	0.008	419/3क, 420/3क	0.017
763/42ग	0.008	419/3ख, 420/3ख	0.020
763/42घ	0.008	419/3ग, 420/3ग	0.020
680/14	0.020	419/3घ, 420/3घ	0.020
655/15	0.008	419/3ङ, 420/3ङ	0.020
655/11	0.004	419/3च, 420/3च	0.020
655/27	0.004	695/8क	0.056
654/2घ	0.008	652/6ख, 655/1ख	0.093
654/2ग	0.012	655/8क, 656/1क	0.043
655/8ग, 656/1ग	0.010	655/8ड, 656/1ड	0.004
654/2ङ	0.012	655/8ढ, 656/1ढ	0.004
695/17घ	0.040	655/8ण, 656/1ण	0.004
		655/8त, 656/1त	0.004

(1)	(2)
655/8थ, 656/1थ	0.004
655/8द, 656/1द	0.004
500/1	0.134
694/9	0.301
695/7	0.607
696/2	0.405
423/1	0.051
680/6ख	0.052
695/10क	0.042
424/1क	0.181
469/10क	0.086
486/2ग	0.033
643/1क	0.008
643/1ख	0.008
753/1	0.033
486/2क	0.029
753/2	0.101
486/2ख	0.028
642/1	0.062
696/9क	0.049
534/1क	0.061
534/1ख	0.021
490/1ग	0.053
497/1ख	0.053
688/7/1, 689/3क/1	0.038
497/1ङ	0.020
490/1ङ	0.020
763/43ख	0.028
763/43ग	0.028
763/43घ	0.020
763/43ङ	0.020
763/45ख	0.020
763/45ग	0.020
763/45घ	0.020
695/17क	0.071
477/1क	0.038
424/1ख	0.009
634/3ग	0.021
779/2ख	0.045
779/2ग	0.045
779/2घ	0.045
779/2ङ	0.045
779/2च	0.045
655/8घ, 656/1घ	0.012
655/8ङ, 656/1ङ	0.012
655/8ध, 656/1ध	0.004
655/8न, 656/1न	0.004
760/10	0.008
680/11	0.020
680/12	0.020
680/13	0.020
508/3	0.021
193/5	0.044
193/2	0.044
193/3	0.024
193/4	0.044
435/2ग	0.012
435/2ख	0.014
435/2घ	0.005
435/2ङ	0.005
435/2च	0.005
469/36	0.021
469/37	0.021
469/38	0.021
469/39	0.020
469/40	0.020
469/41	0.020
767/2ख	0.008
695/36	0.020
695/37	0.020
695/38	0.020
695/39	0.020
695/40	0.020
695/41	0.020
692/4	0.020
692/5	0.020
687/11क	0.019
699/2ख	0.028
687/11ख	0.041
687/11ग	0.041
687/11घ	0.041
651/5क	0.045
651/5ख	0.045
651/5ग	0.045
651/5घ	0.044
651/5ङ	0.044
652/14क	0.048
652/14ख	0.048
652/14ग	0.048
652/14घ	0.045
652/14ङ	0.045
655/7ख	0.049
655/7ग	0.049

(1)	(2)
655/7घ	0.049
472/99ख	0.004
753/1ख	0.004
512/8क	0.005
512/8ख	0.008
512/8ग	0.008
515/15	0.041
515/16	1.041
516/1	0.041
516/3	0.041
516/4	0.082
516/5	0.041
516/6	0.041
516/7	0.041
516/8	0.041
447/1	0.041
447/2	0.041
447/3	0.041
447/4	0.020
447/5	0.020
423/2	0.040
492/2	0.016
492/3	0.016
499/4	0.038
655/7क	0.076
677/4	0.093
480/1क	0.064
485/1क	0.129
780/6	0.008
782	0.219
441/3	0.058
749/3	0.765
534/5	0.060
492/1	0.034
492/4	0.020
492/5	0.020
492/6	0.020
492/7	0.020
492/8	0.020
492/9	0.020
492/10	0.020
628/1क	0.126
628/1च	0.020
628/1छ	0.020
762/1	0.020
762/2	0.020
762/3	0.020
762/4	0.020
762/5	0.020
762/6	0.020
762/7	0.010
659	0.506
662/1, 663/2	0.243
662/2, 663/1	0.145
680/7	0.546
689/1क	0.083
200/2	0.004
779/2छ	0.045
779/2ज	0.045
779/2झ	0.045
763/37ख	0.040
424/2क	0.021
424/2ख	0.021
424/2ग	0.020
424/2घ	0.020
424/2ड	0.020
424/2च	0.020
424/2छ	0.020
424/2ज	0.020
424/2झ	0.020
424/2ञ	0.020
471/4छ	0.010
471/4ज	0.016
471/4झ	0.017
471/4ञ	0.010
687/14	0.003
424/1छ	0.004
490/1ज	0.016
490/1छ	0.016
497/1ग	0.016
497/1घ	0.016
472/9ख	0.041
687/13	0.011
687/6ख	0.009
471/3ख	0.339
763/54	0.342
763/55	0.127
628/1ग	0.021
628/1घ	0.020
628/1ङ	0.020
687/5क	0.012
687/5ख	0.012
687/5ग	0.012

(1)	(2)
462/1ख	0.012
462/1ग	0.013
462/1घ	0.012
680/15	0.008
499/1ग	0.018
650/5	0.002
650/6	0.020
499/13	0.020
499/14	0.020
499/19	0.018
650/10	0.002
499/20	0.020
499/21	0.020
499/22	0.020
499/23	0.020
499/24	0.020
499/25	0.020
193/6	0.044
193/7	0.044
193/8	0.044
469/27	0.020
469/28	0.020
469/29	0.020
469/30	0.020
469/31	0.020
469/32	0.020
655/18	0.020
699/17	0.020
699/18	0.020
469/33	0.020
469/34	0.020
469/35	0.020
760/27	0.008
760/28	0.008
699/19	0.020
699/20	0.020
499/1क	0.020
499/27	0.020
499/28	0.020
499/29	0.020
499/30	0.020
499/31	0.020
447/6	0.020
447/7	0.020
447/8	0.020
447/9	0.020

(1)	(2)
190/11ख	0.020
190/11ग	0.020
190/11घ	0.020
190/11ङ	0.020
190/11च	0.020
190/11छ	0.020
191/12	0.020
191/13	0.020
191/14	0.020
191/15	0.020
191/16	0.020
191/17	0.020
191/18	0.020
191/19	0.020
191/20	0.020
191/21	0.020
423/7	0.040
419/2ग, 420/2ग	0.041
419/2घ, 420/2घ	0.041
200/1क	0.025
200/1छ	0.025
453/18	0.020
469/64	0.004
469/65	0.004
469/66	0.004
469/67	0.004
469/68	0.004
425/2	0.020
425/3	0.020
425/4	0.020
425/5	0.020
426/3ख	0.020
426/3ग	0.020
476/2	0.012
772/2ग	0.025
772/2घ	0.028
421/1	0.027
421/6	0.020
421/7	0.020
421/8	0.020
421/9	0.020
421/10	0.020
421/11	0.020
421/12	0.020
421/13	0.020
421/14	0.020
421/15	0.020

(1)	(2)
421/16	0.020
421/17	0.020
421/18	0.020
421/19	0.020
421/20	0.020
421/21	0.020
421/22	0.020
421/23	0.020
687/1क	0.018
431/1	0.014
485/2	0.600
651/8	0.088
653	0.049
658	0.206
669/2	0.053
670	0.340
671	0.057
672	0.061
673	0.113
674	0.081
675	0.121
676	0.210
678	0.081
679	0.097
758/1	0.154
758/3	0.041
462/1ङ	0.012
699/26	0.020
462/1च	0.013
472/41	0.009
644/1क	0.012
509/1	0.104
775/1क	0.090
465/1	0.081
775/2	0.070
465/2	0.081
775/3क	0.123
509/2	0.034
775/5	0.020
480/6	0.005
480/7	0.127
476/4	0.145
476/5	0.045
476/6	0.145
476/7	0.145
471/3क	0.460

(1)	(2)
490/1ख	0.042
497/2ख	0.063
772/7	0.082
487/1	0.129
454/1/1	0.035
455/1/1	0.035
454/1/3	0.035
455/1/3	0.053
454/1/4	0.036
455/1/4	0.053
454/1/6, 455/1/6	0.062
470/2क	0.161
433/2	0.021
433/6	0.021
433/7	0.013
433/3	0.020
433/8	0.020
781/1	0.067
781/2	0.133
499/32	0.020
499/15	0.020
650/7	0.020
499/26	0.020
692/6	0.020
692/7	0.020
692/8	0.020
692/9	0.020
692/10	0.020
692/11	0.020
692/12	0.020
692/13	0.020
692/14	0.020
692/15	0.020
692/16	0.020
692/17	0.020
692/18	0.020
692/19	0.021
695/42	0.020
695/43	0.020
695/44	0.020
695/45	0.020
695/46	0.020
422/1घ	0.008
422/1ङ	0.008
422/1च	0.008
422/1छ	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
422/1ज	0.008	429/8	0.020
422/1झ	0.008	429/9	0.020
422/1ञ	0.008	206/5	0.049
422/1ट	0.008	206/7	0.017
426/5	0.008	206/8	0.016
426/7	0.008	206/9	0.016
426/8क	0.004	625/2	0.041
426/11	0.008	758/8	0.040
426/9	0.008	758/9	0.040
426/10	0.008	758/10	0.020
426/12	0.008	758/11	0.029
426/13	0.008	769	0.125
426/14	0.008	651/7क	0.042
426/3घ	0.021	651/7ख	0.042
426/3ङ	0.020	651/7ग	0.042
779/4घ	0.020	651/7घ	0.042
779/4ङ	0.020	651/7ङ	0.042
779/4च	0.020	652/16	0.044
779/4छ	0.020	652/22	0.044
779/4ज	0.020	652/23	0.044
779/4झ	0.013	652/24	0.042
780/5	0.012	696/1	0.087
512/4ख	0.041	687/12क	0.024
512/4ग	0.041	488/1	0.125
512/4घ	0.041	635/1	0.090
773/2क	0.036	688/3क	0.020
773/2ग	0.025	496/3	0.065
773/2घ	0.025	668/5	0.126
773/2ङ	0.025	680/8	0.122
444/3	0.020	688/4	0.142
444/4	0.020	688/2ग	0.009
444/5	0.020	691/3	0.161
444/6	0.020	534/4	0.162
444/7	0.020	461/1क	0.172
461/3	0.041	438/1	0.128
461/4	0.041	458/803	0.154
461/5	0.041	512/2क	0.040
461/6	0.041	512/2ख	0.040
461/7	0.041	512/2ग	0.040
192/7ख	0.040	512/2घ	0.026
429/15	0.041	512/3क	0.044
429/16	0.041	512/3ख	0.042
429/17	0.041	512/3ग	0.042
429/18	0.041	512/3घ	0.042
429/6	0.021	765	0.012
429/7	0.021	436	0.219

(1)	(2)	(1)	(2)
781/3	0.121	426/22	0.008
781/4	0.254	426/23	0.008
781/5	0.036	426/24	0.008
781/6	0.077	439/6क	0.006
781/8	0.041	439/6ख	0.006
781/9	0.041	472/86	0.020
781/10	0.041	472/87	0.020
781/11	0.041	472/77	0.020
781/12	0.041	472/88	0.020
781/13	0.041	472/78	0.020
781/14	0.041	472/79	0.020
781/15	0.041	472/80	0.020
781/7	0.404	472/81	0.020
497/1च	0.008	472/82	0.020
497/1छ	0.008	472/83	0.020
497/1ज	0.008	472/84	0.020
497/1झ	0.008	472/85	0.014
432/6	0.012	472/89	0.002
432/7	0.012	472/90	0.004
432/8	0.012	472/91	0.010
432/9	0.013	472/92	0.010
432/10	0.012	472/93	0.010
432/11	0.041	472/94	0.010
472/112	0.008	472/95	0.008
687/6क	0.005	472/96	0.020
472/113	0.008	472/97	0.008
779/5ख	0.045	472/98	0.008
472/114	0.008	472/99क	0.004
472/115	0.008	472/100	0.020
192/8	0.045	472/101	0.020
192/9	0.040	472/102	0.020
472/116	0.008	472/103	0.020
472/117	0.008	625/3	0.032
779/4ग	0.162	429/10	0.041
759/4	0.045	429/11	0.041
472/118	0.008	429/12	0.041
759/5	0.045	429/13	0.041
759/6क	0.045	429/14	0.041
759/7क	0.020	650/2क	0.041
426/15	0.008	650/2ख	0.040
426/16	0.008	650/2ग	0.040
426/17	0.008	650/2घ	0.040
426/18	0.008	471/27ख	0.004
426/19	0.008	753/5ख	0.004
426/20	0.008	471/33ख	0.004
426/21	0.008	753/4ख	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
512/9ख	0.004	789	0.757
512/6ख	0.004	790	0.546
763/64ख	0.004	432/3क	0.043
471/22ख	0.041	432/3घ	0.021
471/22ग	0.041	435/1क	0.020
471/22घ	0.041	435/10	0.020
471/22ङ	0.041	435/11	0.020
685/1क	0.044	435/12	0.020
685/1ख	0.041	435/13	0.020
775/4क	0.029	435/14	0.020
775/4ख	0.020	435/15	0.020
775/4ग	0.020	435/16	0.020
776/6	0.020	435/17	0.020
775/4घ	0.020	435/18	0.020
191/6ख	0.020	435/19	0.020
191/6ग	0.020	435/20	0.020
191/6घ	0.020	435/21	0.020
191/6ङ	0.020	435/22	0.020
191/6च	0.020	435/23	0.020
191/6छ	0.020	435/24	0.020
191/6ज	0.020	435/25	0.020
514/2	0.020	439/2	0.045
514/3	0.020	439/3	0.045
514/4	0.020	439/4	0.045
514/5	0.020	699/11	0.405
652/5	0.129	699/12	0.405
655/3	0.223	699/13	0.061
657/2	0.021	699/14	0.061
695/4क	0.041	699/15	0.061
695/4ख	0.041	699/16	0.061
695/4ग	0.040	471/13	0.215
699/4	0.061	471/12	0.215
475	0.720	471/11	0.215
777/1क	0.227	471/10	0.215
777/2क	0.182	471/9क	0.836
777/3	0.251	471/7	1.000
777/4	0.258	655/4, 656/1	0.273
783/1	0.081	655/6	0.121
783/2	0.101	190/3	0.141
783/3	0.117	191/10	0.061
784/1	0.101	780/7	0.117
784/2	0.105	780/8क	0.035
785	0.700	780/8ख	0.038
786	0.567	696/8	0.101
787	0.401	696/49	0.101
788	0.308	642/2	0.039

(1)	(2)
643/3	0.081
635/4	0.024
684/2क	0.016
685/2	0.020
684/4	0.069
685/4	0.085
685/5	0.020
667	0.045
666	0.040
469/1ग	0.073
469/1क/1	0.052
652/2	0.077
469/1क/2	0.053
469/1ड	0.073
654/2क	0.013
654/2ख	0.012
472/104	0.008
472/105	0.008
472/106	0.008
472/107	0.008
472/108	0.008
472/109	0.020
472/110	0.008
472/59	0.010
472/60	0.008
472/73	0.013
472/61	0.008
472/62	0.008
472/63	0.008
472/64	0.008
472/65	0.008
472/66	0.008
472/67	0.008
472/68	0.008
462/9	0.011
472/74	0.012
472/75	0.012
472/76	0.012
472/70	0.012
462/10	0.008
472/71	0.012
472/69	0.020
472/72	0.008
512/11	0.022
512/12क	0.008
471/71	0.004
763/41ख	0.020
649/2	0.019
649/5	0.020
649/6	0.020
649/7	0.020
649/8	0.008
698/30	0.020
698/5	0.024
649/9	0.012
699/21	0.010
699/22	0.010
698/31	0.020
514/6	0.020
514/7	0.020
441/19	0.020
441/20	0.020
441/21	0.020
441/22	0.020
441/23	0.020
441/24	0.020
651/4ख	0.045
651/9	0.045
651/10	0.045
651/11	0.045
651/3	0.043
651/12	0.045
651/13	0.045
651/14	0.045
651/15	0.045
668/2च	0.045
489/2	0.041
489/5	0.040
462/2क	0.043
462/2ख	0.043
462/2ग	0.044
462/2घ	0.044
461/1ग	0.021
462/4	0.182
777/2ग	0.121
478/1	0.033
780/14	0.041
780/15	0.041
780/12	0.041
780/16	0.042
780/17	0.045
780/18	0.045
780/19	0.045
780/20	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
780/2	0.077	652/11/ग	0.058
470/5ख	0.041	652/6ङ, 655/1ङ	0.023
469/8ग	0,013	652/11/घ	0.059
469/8घ	0.014	652/6च, 655/1च	0.024
634/3घ	0.028	466/2	0.050
664/2	0.012	466/3	0.025
419/1, 420/1	0.650	644/1छ	0.020
478/2	0.121	462/6क	0.056
491/2	0.405	462/6ख	0.055
491/3	0.065	669/3ख	0.041
687/8क	0.014	469/1ढ	0.058
423/3	0.173	469/1ण	0.140
423/4	0.108	685/3ग	0.039
490/2	0.101	685/3घ	0.039
498/2	0.125	685/3ड	0.039
513/1	0.069	685/3क	0.039
694/7	0.003	685/3च	0.039
496/1	0.239	424/1ग	0.020
748	0.223	424/1घ	0.020
760/1क	0.235	424/1ड	0.004
668/2क	0.046	424/1च	0.004
693/1	0.206	480/2क	0.104
693/3	0.207	472/42	0.012
694/1	0.229	644/1ग	0.008
694/2	0.304	472/43	0.012
694/4	0.304	644/1ङ	0.008
694/6	0.299	472/43	0.012
694/8	0.304	644/1ङ	0.008
695/11	0.101	472/45	0.012
419/2ख, 420/2ख	0.302	644/1च	0.008
419/4, 420/4	0.297	490/1घ	0.009
199/1क	0.062	435/7	0.007
206/1ख	0.141	435/6	0.028
206/4ख	0.020	760/29	0.008
469/1च	0.029	760/30	0.008
632	0.053	472/38	0.008
648	0.121	472/39	0.008
651/2	0.235	472/40	0.008
652/1	0.501	472/46	0.008
652/4	0.061	472/47	0.008
652/8	0.291	655/20	0.008
652/9	1.262	655/21	0.008
652/19	0.077	655/2ग	0.008
652/20	0.077	760/34	0.020
652/21	0.077	515/13	0.008
652/11/ख	0.059	421/3	0.041
652/6घ, 655/1घ	0.023	649/1ग	0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
649/1घ	0.041	696/10ट	0.513
649/1ङ	0.024	696/10ठ	0.041
649/1च	0.041	696/10ड	0.041
649/1छ	0.041	696/10ढ	0.041
649/1ज	0.025	422/2ग	0.041
477/1ख	0.041	422/2घ	0.031
477/1ग	0.041	422/2ङ	0.028
477/1घ	0.041	698/18ख	0.006
477/1ङ	0.041	698/18ग	0.006
654/1ख	0.040	471/6ङ	0.020
654/1छ	0.040	471/6च	0.020
435/5क	0.020	190/10क	0.020
435/5ख	0.020	471/6छ	0.020
435/5ग	0.025	190/10च	0.008
649/3क	0.049	654/1ग	0.031
649/3ख	0.049	695/5	1.250
649/4ख	0.050	767/6ख	0.041
649/4क	0.049	699/6क	0.047
752/6	0.004	190/1क	0.008
752/13	0.004	191/8	0.065
752/7	0.004	652/6क, 655/1क	0.264
752/11	0.004	652/13	0.134
752/8	0.004	437/1	0.041
664/3	0.012	437/2	0.041
469/69	0.041	437/3	0.041
469/70	0.041	437/4	0.042
469/71	0.041	437/5	0.042
469/61	0.041	437/6	0.042
469/72	0.041	437/7	0.042
469/62	0.041	439/1	0.159
469/73	0.041	647	0.219
469/63	0.041	759/1क	0.111
421/5	0.041	759/1ख	0.041
421/4	0.041	206/2	0.015
680/3ट	0.047	471/6क/1	0.271
680/3ठ	0.046	677/2	0.033
695/16घ	0.041	680/2क	0.170
695/16ङ	0.040	688/1क	0.283
695/16च	0.012	688/2क	0.017
696/10ख	0.041	691/1क	0.164
696/10ग	0.041	435/2क	0.168
696/10घ	0.041	435/26	0.041
696/10ङ	0.041	435/27	0.041
696/10च	0.041	435/28	0.041
696/10छ	0.195	458/1	0.042
696/10ज	0.041	458/2	0.041
696/10झ	0.041	458/3	0.041
696/10ञ	0.041	458/4	0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
458/5	0.041	486/2ङ	0.020
630	0.142	486/2च	0.020
759/2	0.105	472/27ख	0.016
515/1	0.082	655/12क	0.004
490/1ठ	0.008	668/4ख	0.041
771/1	0.045	689/2क	0.045
768/1	0.045	668/2ख	0.023
759/3क	0.045	680/4ख	0.019
490/1झ	0.012	668/4ग	0.040
490/1ञ	0.012	689/2ख	0.046
490/1ट	0.012	668/2ग	0.023
490/1च	0.013	680/4ग	0.018
490/6	0.013	485/4	0.021
490/7	0.014	687/1ख	0.018
490/8	0.013	485/5	0.020
779/4क	0.022	515/14	0.008
779/14	0.042	515/10	0.009
779/15	0.042	499/33	0.018
779/16	0.042	650/12	0.002
779/17	0.042	499/34	0.020
780/3	0.020	650/8	0.020
652/18	0.288	650/9	0.020
687/12ख	0.005	499/16	0.040
687/12घ	0.012	499/17	0.020
687/12च	0.012	499/18	0.040
687/12छ	0.012	763/41ग	0.020
651/1ख	0.020	655/22	0.020
687/12ग	0.012	515/11	0.008
651/1ग	0.012	515/12	0.008
651/1घ	0.020	695/47	0.020
469/11	0.012	695/48	0.020
469/12	0.021	655/8ज, 656/2ज	0.020
687/12ङ	0.012	699/23	0.020
695/18	0.005	190/10ग	0.008
695/19	0.005	190/10घ	0.020
695/29	0.005	190/10ङ	0.021
695/20	0.006	195/3	0.041
695/21	0.005	770/5	0.020
695/22	0.005	770/6	0.021
695/23	0.005	636/3	0.022
695/24	0.005	636/4	0.022
695/25	0.005	636/5	0.021
695/26	0.005	457/3	0.020
752/12	0.004	457/4	0.020
752/9	0.004	457/5	0.020
752/14	0.004	770/2	0.020
688/7/15, 689/3क/15	0.020		

(1)	(2)	(1)	(2)
770/7	0.020	690/2क	0.017
770/8	0.020	691/2ख	0.100
766/3	0.041	690/2ख	0.117
629/1	0.020	467/2	0.047
766/5	0.020	467/3	0.048
766/6	0.040	190/12	0.158
629/2	0.040	435/4	0.040
629/3	0.041	772/5क	0.041
484/2	0.045	638/2	0.061
484/3	0.045	638/3	0.040
773/2च	0.042	640/1	0.061
773/2छ	0.042	640/2	0.040
773/2ज	0.042	644/3	0.061
206/3घ	0.006	644/6	0.041
773/2ख	0.042	473/1	0.129
206/3ङ	0.006	477/2	0.296
190/4क	0.047	754	0.498
695/17ग	0.020	512/13	0.012
772/12	0.081	780/4	0.058
772/13	0.020	695/27	0.005
772/14	0.020	695/28	0.005
772/15	0.020	190/13	0.005
772/16	0.020	190/14	0.005
471/9ख	0.041	190/15	0.005
471/9ग	0.041	190/16	0.005
471/9घ	0.041	190/17	0.005
190/2ख	0.310	669/3ग/1	0.004
190/5ख	0.113	190/18	0.005
190/6ख	0.115	469/13	0.012
190/7ख	0.042	472/48	0.008
190/8ख	0.040	469/14	0.012
190/9ख	0.088	472/28	0.020
191/1ख	0.070	469/15	0.012
191/4ख	0.080	472/50	0.008
191/7ख	0.054	471/8क	0.020
191/9ख	0.011	772/5ग	0.020
190/2ग	0.310	471/8ग	0.021
190/5ग	0.114	485/3घ	0.040
190/6ग	0.114	485/3क	0.040
190/7ग	0.042	485/3ग	0.040
190/8ग	0.040	687/3क	0.016
190/9ग	0.088	655/12ख	0.004
191/1ग	0.070	687/3ख	0.016
191/4ग	0.070	687/4ख	0.016
191/7ग	0.054	654/3ख	0.041
191/9ग	0.010	471/8घ	0.013
		471/8ङ	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
654/1ज	0.008	471/9ङ	0.041
471/8च	0.012	470/2ख	0.049
471/8छ	0.012	426/8ख	0.004
471/8ज	0.012	685/3ञ	0.041
472/35	0.008	763/40ख	0.004
471/8झ	0.012	763/40ग	0.004
472/36	0.008	190/2क	0.045
471/8ट	0.012	190/2घ	0.045
472/37	0.008	190/2ङ	0.045
655/8झ, 656/2झ	0.021	190/2च	0.045
699/24	0.020	190/2छ	0.045
699/25	0.020	190/2ज	0.044
650/13	0.020	190/2झ	0.041
695/49	0.020	190/9क	0.045
439/7	0.012	190/9घ	0.044
439/8	0.013	190/5घ	0.041
486/2छ	0.020	695/8ख	0.056
486/2ज	0.020	695/8ग	0.056
654/1छ	0.020	695/8घ	0.050
696/9छ	0.049	699/1	0.065
696/9ज	0.049	471/21क	0.054
773/4क	0.012	471/21ख	0.054
651/6क	0.020	471/21ग	0.054
651/6ग	0.020	471/21घ	0.054
651/6घ	0.020	471/21ङ	0.054
651/6ङ	0.020	471/21च	0.055
651/6च	0.020	471/21छ	0.055
651/6छ	0.020	652/7ख	0.040
699/27	0.020	651/1ङ	0.021
469/42	0.020	651/1च	0.021
469/43	0.020	651/1छ	0.021
469/44	0.020	651/1ज	0.021
469/45	0.020	434/2	0.005
469/46	0.020	434/3	0.005
469/47	0.020	434/4	0.005
469/48	0.020	434/5	0.004
469/49	0.020	434/6	0.004
469/50	0.020	434/7	0.004
469/51	0.020	449/1	0.091
469/52	0.020	459/1	0.180
469/53	0.008	451	0.061
680/2ख	0.012	452/1	0.041
680/2ग	0.020	459/2	0.181
680/2घ	0.020	777/2ख	0.040
680/2ङ	0.020	452/3	0.101
680/2च	0.020	459/3	0.181

(1)	(2)	(1)	(2)
461/1ख	0.041	694/3ख	0.021
473/2क, 474/3क/1	0.177	760/3	0.020
473/2ख/1, 474/3ख/1	0.177	419/2क, 420/2क	0.118
473/2क/2, 474/3क/2	0.110	453/2क	0.013
473/2ख/2, 474/3ख/2	0.066	197/1ख	0.012
480/1ग	0.065	453/2ख	0.026
480/5क	0.065	197/1ग	0.012
480/3क	0.045	453/2ग	0.025
480/5ग	0.020	197/1घ	0.012
510/2	0.033	453/2घ	0.025
510/24	0.008	197/2ख	0.012
510/25	0.008	453/4ख	0.029
510/26	0.008	197/2ग	0.012
510/27	0.008	453/4ग	0.029
510/28	0.008	444/1ख	0.005
511/2	0.040	444/1ग	0.005
510/3	0.040	680/2छ	0.020
510/4	0.040	680/2ज	0.020
455/3	0.073	680/2झ	0.036
455/5	0.055	692/21	0.032
512/4क	0.049	692/22	0.040
496/2	0.065	692/23	0.020
695/17ख	0.021	695/10छ	0.040
194/4	0.023	695/10ग	0.050
194/5	0.023	695/10घ	0.050
194/6	0.023	695/10ङ	0.050
471/8ञ	0.012	695/10च	0.050
472/12क	0.020	691/1ग	0.045
472/12ख	0.020	691/1घ	0.045
472/12ग	0.021	691/1ङ	0.045
472/12घ	0.041	691/1च	0.045
485/3ङ	0.041	691/1छ	0.045
485/3च	0.041	699/7क	0.041
485/3छ	0.041	699/7ख	0.040
432/12	0.012	699/7ग	0.040
432/13	0.008	699/7घ	0.040
504/2क	0.105	699/7ङ	0.033
504/3घ	0.008	471/3ङ	0.049
472/25	0.020	471/3च	0.049
472/26क	0.004	471/3छ	0.049
472/27क	0.004	753/8	0.020
472/24	0.020	753/3क	0.004
441/6	0.004	753/4क	0.004
441/7	0.012	753/5क	0.004
441/9	0.012	753/6	0.004
441/10	0.004	753/7	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
190/29क	0.008	196/1	0.156
190/29ख	0.008	197/1क	0.071
190/29ग	0.004	196/2	0.156
193/9	0.020	197/2क	0.083
654/1ङ	0.049	453/4क	0.031
688/3ग	0.020	470/5क	0.020
688/3ख	0.020	470/6	0.061
434/8	0.005	195/1	0.040
434/9	0.005	198/802/1	0.025
434/10	0.004	464	0.101
434/11	0.004	468/1	0.048
434/12	0.004	468/2	0.041
434/13	0.004	503	0.049
429/3	0.049	195/2	0.081
429/19	0.041	198/802/2	0.015
429/20	0.041	501	0.024
429/21	0.041	505	0.190
429/22	0.041	422/1ग	0.207
429/23	0.041	761	0.146
429/24	0.041	776/1	0.164
191/2ख	0.008	763/1	0.214
191/2ग	0.012	776/2	0.020
668/2छ	0.041	763/3क	0.150
469/74	0.020	763/4क	0.101
469/75	0.008	763/5क	0.150
191/2घ	0.012	772/4	0.101
191/2ङ	0.080	772/6	0.100
470/1च	0.012	696/12	0.039
470/4ख	0.012	696/13	0.022
470/4ग	0.041	696/5	0.018
443/2	0.012	696/14	0.030
470/3घ	0.012	696/15	0.008
470/3ङ	0.041	696/11क	0.380
432/2ग	0.020	696/11ख	0.049
432/2घ	0.020	696/11ग	0.049
432/2ङ	0.020	698/4	0.192
432/2च	0.025	700	0.194
432/2ज	0.020	444/1घ	0.008
432/2छ	0.020	444/1ङ	0.005
471/22क	0.020	444/1च	0.005
471/22च	0.020	504/3ङ	0.008
471/22छ	0.020	504/3च	0.008
471/22ज	0.020	504/3छ	0.008
471/22झ	0.014	504/3ज	0.008
471/22ञ	0.014	504/3झ	0.008
487/3क	0.051		

(1)	(2)	(1)	(2)
504/3ञ	0.008	773/4छ	0.040
504/3ट	0.008	773/4ज	0.040
504/3ठ	0.008	773/4झ	0.040
504/3ड	0.008	773/4ञ	0.040
698/18क	0.008	773/4ट	0.040
698/19	0.020	767/6ग	0.041
698/20	0.020	767/6घ	0.041
698/21	0.020	767/6ङ	0.041
698/22	0.020	432/16ख	0.006
471/18ख	0.020	767/6च	0.041
471/18ग	0.040	763/46ख	0.020
471/17ख	0.040	763/46ग	0.017
471/17ग	0.020	643/4	0.021
441/11	0.024	643/5	0.020
655/16	0.013	424/6	0.020
655/17	0.012	424/5	0.020
424/1ज	0.012	424/7	0.006
472/49	0.008	424/8	0.006
472/29	0.020	424/9	0.006
472/26ख	0.016	424/10	0.006
698/23	0.020	424/11	0.006
698/24	0.020	424/12	0.006
435/3	0.013	689/2घ	0.045
698/25	0.009	510/5	0.058
698/26	0.008	510/6	0.134
698/28	0.008	510/15	0.134
698/29	0.008	510/7	0.020
698/2	0.008	510/8	0.020
698/27	0.008	510/9	0.020
692/3	0.035	510/10	0.041
688/3घ	0.020	510/11	0.020
688/3ङ	0.017	510/12	0.020
453/15	0.041	510/13	0.020
453/16	0.041	510/14	0.020
200/1ख	0.041	780/9क	0.061
200/1ङ	0.010	780/9ख	0.060
453/9	0.008	199/2ख	0.041
200/1च	0.049	199/2ग	0.041
200/1ग	0.003	199/2घ	0.041
453/10	0.020	199/2ङ	0.041
453/17	0.041	634/1ख	0.009
773/4ग	0.041	628/1ख	0.020
773/4घ	0.041	695/6ख	0.041
206/3ख	0.020	695/6ग	0.041
773/4ङ	0.041	695/6घ	0.041
773/4च	0.041	695/6ङ	0.041

(1)	(2)
480/2ख	0.041
432/1ख	0.045
432/1ग	0.045
432/1घ	0.041
432/1ङ	0.041
432/1च	0.041
432/1छ	0.041
655/8ञ, 656/2ञ	0.020
655/8ट, 656/2ट	0.020
655/8ठ, 656/2ठ	0.020
775/1ख	0.041
472/9क	0.044
471/14क	0.020
471/15क	0.020
471/16	0.025
428/1	0.004
428/4	0.008
428/5	0.008
428/6	0.008
471/17क	0.041
677/1	0.004
696/17	0.049
462/3क	0.059
462/3ख	0.020
462/3ग	0.020
472/4	0.010
192/2	0.095
462/5	0.075
752/2	0.004
752/10	0.004
752/3	0.040
752/4	0.040
752/5	0.040
534/1ग	0.020
534/1घ	0.020
643/2	0.040
692/2	0.041
752/1	0.095
688/7/2, 689/3क/2	0.049
688/7/3, 689/3क/3	0.049
688/7/4, 689/3क/4	0.049
680/6ग	0.049
424/13	0.006

(1)	(2)
424/14	0.006
424/15	0.006
424/16	0.006
424/17	0.004
424/18	0.005
687/9क	0.008
435/1ख	0.020
192/4ख	0.020
192/4ग	0.020
192/4घ	0.020
462/11	0.020
462/12	0.020
512/1ग	0.012
512/14	0.013
512/15	0.012
424/19	0.008
775/1ग	0.041
775/1घ	0.041
775/1ङ	0.041
775/1च	0.041
775/1छ	0.041
469/10ख	0.049
469/10ग	0.049
469/10घ	0.049
469/10ङ	0.008
624/1	0.017
624/2	0.005
624/3	0.016
624/4	0.015
624/5	0.004
624/6	0.004
624/7	0.004
योग 2975	143.464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्रमांक/966/दो-08-01/2003.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 11-अ उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कॉलम नंबर-2 में दर्शाए गए तहसील क्षेत्र के लिये कॉलम नंबर-3 में वर्णित तालुक विधिक सेवा समितियों का तत्काल प्रभाव से गठन करता है :—

क्र.	तहसील क्षेत्र	तालुक विधिक सेवा समिति	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 11-अ की उपधारा (2) के खंड (अ) के अनुसार तालुक विधिक सेवा समिति का पदेन अध्यक्ष	छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 2002 के नियम 16 (2) के अनुसार तालुक विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बलरामपुर	बलरामपुर, जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.)	वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी	1. उप-जिलाधीश 2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी 3. अध्यक्ष, स्थानीय अधिवक्ता संघ
2.	राजपुर	राजपुर, जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.)	वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी	1. उप-जिलाधीश 2. पुलिस अनुविभागीय अधिकारी 3. अध्यक्ष, स्थानीय अधिवक्ता संघ

No./966/II-08-01/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur constitutes the Taluk Legal Services Committee as shown in column No. (3) for the area comprising of as shown in column No. (2), with immediate effect.

S. No.	Tahsil Area	Taluk Legal Service Committee	Ex-officio Chairman of Legal Services Committee as per clause (a) of sub-section (2) of section 11-A of the Legal Services Authorities Act 1987	Ex-officio Members of Taluk Legal Services Committee as per Sub Rule (2) of Rule 16 of the C.G. State Legal Services Authority, Rule 2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Balrampur	Balrampur Distt. Surguja (Ambikapur) (C.G.)	Senior Most Judicial Officer	1. Sub Collector 2. S.D.O. Police 3. President, Local Bar Association.
2.	Rajpur	Rajpur Distt. Surguja (Ambikapur) (C.G.)	Senior Most Judicial Officer	1. Sub Collector 2. S.D.O. Police 3. President, Local Bar Association.

ए. के. सिंघल,
सदस्य सचिव.